न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 110/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

तारीख रजू : 17.10.2025 निर्णय दिनांक : 06.05.2026

उनवान

1. वीर सिंह पुत्र जयनारायण जाति अहीर निवासी गण्डाला तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान। –प्रार्थी

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र रिछपाल,
2. मुकेश कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह,
3. लाली देवी पत्नी महेन्द्र सिंह,
4. सुमन पुत्री महेन्द्र सिंह,
5. वीरेन्द्र सिंह पुत्र रामजीलाल,
6. सुभाष चन्द पुत्र रामजीलाल,
7. मुनिया देवी पुत्री रामजीलाल,
8. सुमित्रा यादव पुत्री रामजीलाल,
9. सूरजी पुत्री रामजीलाल सभी जाति अहीर निवासीयान गण्डाला, तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।
10. उप पंजीयक बहरोड जिला कोटपूतली बहरोड।
11. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बहरोड जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री संदीप बंसल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

दिनांक – 06.05.2026

।। निर्णय ।।

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर बहरोड के समक्ष वाद बउनवानी भूपसिंह बनाम वीरसिंह वगै0 मुकदमा संख्या 113/2022 विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।
3. वकील प्रार्थी को सुना गया।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुंतकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि न्यायालय सहायक कलेक्टर बहरोड़ के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1/वादी ने आराजी हाल खसरा नं. 1955 रकबा 0.31 है0 वाके ग्राम गण्डाला में स्वयं को 1/3 हिस्से का खातेदार बताते हुए तकसीम आराजी व हुक्मईम्तनाईद्दवामी का दावा तथ्यों को छिपाकर पेश किया, जिस पर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावा प्रस्तुत किया और साक्ष्य से यह सिद्ध हुआ कि वादी ने दावा दायरी से पूर्व ही अपने 1/3 हिस्से में से 476.80 वर्ग मीटर भूखण्ड का बेचान कर रखा

जिला कलक्टर

था, इसके बावजूद पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी के अधिवक्ता की बिना सहमति के गलत रूप से प्रारंभिक डिक्री पारित कर दी, प्रार्थी जो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल से सेवानिवृत है, के अनुसार अप्रार्थी का पुत्र जसवंत सिंह (अध्यापक, निर्वाचन शाखा बहरोड़) के प्रभाव में साक्ष्य के विपरीत निर्णय दिया गया और अब वह प्रार्थी को धमकी दे रहा है कि वह मनमर्जी से फैसला करवाएगा। जबकि प्रार्थी ने उक्त खसरा नं. 1955 का 1/3 हिस्सा दिनांक 10.04.2002 को रजिस्टर्ड बयनामा से रामजीलाल पुत्र मु. खवानी से खरीद कर कब्जा लेकर मकान व दीवार बना रखी है, वहीं भूपसिंह ने बाद में 1/3 हिस्सा खरीदकर उसमें से 476.80 वर्गमीटर पूनम कुमारी को 14.06.2019 को बेच दिया और उसे पक्षकार नहीं बनाया, इस प्रकार बेचानशुदा आराजी सहित स्वयं को 1/3 हिस्से का खातेदार बताकर दावा पेश कर उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के प्रभाव से डिक्री करवाने का प्रयास किया जा रहा है।

अंत में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि न्यायालय सहायक कलक्टर बहरोड में विचाराधीन प्रकरण बउनवान भूपसिंह बनाम वीरसिंह वगैरा को सहायक कलक्टर बहरोड़ से अन्य सक्षम न्यायालय में अंतरण किये जाने की कृपा करे।

5. वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, प्रार्थी अधिवक्ता की दलीलों पर सम्यक् विचार किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में सहायक कलक्टर बहरोड़ के विरुद्ध लगाए गए आरोप सामान्य, अस्पष्ट एवं अनुमान आधारित हैं। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस, विश्वसनीय अथवा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षपातपूर्ण आचरण किया जा रहा है अथवा प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की वास्तविक एवं युक्तियुक्त आशंका है। यह विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि केवल आशंका, अफवाह या एकपक्षीय कथनों के आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि प्रत्येक प्रकरण में केवल न्याय न मिलने की आशंका के आधार पर स्थानान्तरण किया जाने लगे, तो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः इस न्यायालय का स्पष्ट मत है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र विधिसम्मत आधारों से रहित है तथा इसे स्वीकार किये जाने का कोई औचित्य नहीं बनता।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

6. निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(अर्पणा गुप्ता)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़